5

25

136

मध्यप्रदेश शासन
पुनर्वास विभाग

=====

क्रमांक एफ 5-8-90/28/ /भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 91

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाधीश
मध्यप्रदेश ।

विषय:- खनिज परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नीति वर्ष 1991 .

=======

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में स्थित खनिज परियोजना से होने वाले विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु निम्नानुसार नीति लागू की जावे :-

§1§ पात्रता :-

खनिज परियोजना से विस्थापित होने वाले व्यक्ति/परिवार निम्नलिखित आधार पर सुविधा के पात्र होंगे :-

§क§ जिनकी संपूर्ण भूमि अर्जित की गई हो ।
§ख§ जिनकी 1/3 कृषि भूमि तथा आवासीय भूमि अर्जित की गई हो ।
§ग§ जिनकी केवल आवासीय भूमि अर्जित की गई हो ।
§घ§ जो योजना के प्रभावित क्षेत्र में आवास सुविधा विहीन रह रहे हो ।

§2§ परियोजना से विस्थापित परिवार की परिभाषा:-

§क§ खनिज परियोजना से विस्थापित परिवार से तात्पर्य, जिसमें पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे और परिवार के मुखिया पर आश्रित अन्य व्यक्ति उदाहरणार्थ विधवा मां, विधवा बहन, पुत्री या वृद्ध पिता शामिल है ।

§ख§ विस्थापित परिवार के प्रत्येक लड़के को जो भू-अर्जन अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के दिनांक को बालिग हो गया है, एक अलग परिवार के रूप में माना जावेगा ।

(3) रोजगार सुविधा :-

(क) प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक ऐसे परिवार जिसकी आवासीय भूमि तथा कृषि भूमि की 1/3 से अधिक भूमि अर्जित की गई हो, उसके किसी एक व्यक्ति को रोजगार सुविधा प्रथम प्राथमिकता से एस०ई०सी०एल० से प्राप्त करने के पात्र होंगे ।

(ख) प्रत्येक परिवार जिसकी तीन एकड़ से अधिक असिंचित भूमि व दो एकड़ से अधिक सिंचित भूमि अधिग्रहित की गई हो उसे द्वितीय वरियता के आधार पर रोजगार सुविधा किसी एक सदस्य को एस०ई०सी०एल० द्वारा दिलाई जावेगी ।

(ग) ऐसे परिवार जिसकी संपूर्ण कृषि भूमि और/अथवा आवासीय भूमि अर्जित की गई हो ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को तृतीय वरियता के आधार पर रोजगार एस०ई०सी०एल० द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा ।

(घ) ऐसे परिवार जिसकी 2/3 कृषि भूमि अर्जित की गई हो, ऐसे परिवार के किसी एक सदस्य को उपलब्धता के आधार पर एस०ई०सी०एल० द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जावेगा ।

(ङ) संबंधित क्षेत्र के भूमिहीन विस्थापित व्यक्तियों जिनकी जीविका पर सारभूत प्रभाव पड़ा है, उन्हें स्वरोजगार योजना के माध्यम से प्रशिक्षित किया जावेगा । साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स राज्य शासन की मदद से विस्थापित परिवारों के व्यक्तियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करेगा तथा उन व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था एस०ई०सी०एल० द्वारा की जावेगी ।

(4) भूमि का वितरण :-

प्रत्येक विस्थापित परिवार को दस डेसीमल आवासीय भूमि आवंटित की जावेगी जिसे राज्य शासन इस हेतु भूमि आवंटन कर साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स को उपलब्ध करायेगी और इस हेतु उपलब्ध कराई गई भूमि की कीमत साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स द्वारा वहन की जावेगी ।

(5) अन्य सुविधायें :-

विस्थापितों की बसाहट हेतु बनाई जाने वाली आवासीय बस्तियों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, शाला भवन, हेल्थसेन्टर, पेयजल की सुविधा, मनोरंजन, कुएं, तालाब, खेल के मैदान, बगीचे तथा शापिंग सेन्टर आदि की सामान्य सुविधा भी आवश्यकता अनुसार एस०ई०सी०एल० द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी ।

पृष्ठांकन एफ 5-8/90/28, /भोपाल, दिनांक 25 सितम्बर, 91

प्रतिलिपि:-

1/ अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, सीपत रोड बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

2/ नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि वह इसे आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

हस्ता-
(एस0एन0. शर्मा)
उप सचिव
म0प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग,

पृ0क्रमांक 19/खनिज/1/91/ [illegible] /शहडोल, दिनांक [illegible] 91

प्रतिलिपि:-

1/ अनुविभागीय अधिकारी, [illegible] जिला शहडोल ।

2/ कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण [illegible] शहडोल ।

3/ भू-अर्जन अधिकारी, शहडोल,

4/ प्रभारी अधिकारी, [illegible] पुनर्वास शाखा

5/ महा प्रबन्धक, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स [illegible] जिला शहडोल

को पालनार्थ अग्रेषित ।

[illegible] अधिकारी,
[illegible], शहडोल
(म0प्र0)

(6) सहायता :-

प्रत्येक विस्थापित परिवार को रुपये 2500/- (रुपये दो हजार पाँच सौ) की तात्कालिक पुनर्वास [illegible] व्यवस्था के लिये एस०ई० [illegible] उपलब्ध कराई जायेगी । इन परिवारों के अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी उन्हीं के द्वारा की जायेगी ।

(7) खनिज परियोजना के प्रभावित क्षेत्र में कोई [illegible], धन्धा या जीविका [illegible] परियोजना के फलस्वरूप उसकी जीविका पर प्रति[illegible] [illegible] की [illegible] निर्धारित एक संयुक्त समिति [illegible] । इस समिति में एस०ई०सी०एल० एवं राज्य शासन के प्रतिनिधि [illegible] राज्य शासन के प्रतिनिधि को [illegible] । इस [illegible] स्वरोजगार योजना इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षित किया जायेगा। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स राज्य शासन की मदद से इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आंकलन करेगा तथा उन व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करेगा ।

(8) अन्य शर्तें :-

(क) यदि भारत शासन के कोयला विभाग द्वारा किसी खनिज योजना के संबंध में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या सुविधा निर्धारित की जावेगी तो वह उपरोक्त सुविधाओं के अलावा समस्त पुनर्वास योजना में लागू होगी ।

(ख) राज्य शासन द्वारा एस०ई०सी०एल० से चर्चा उपरान्त इस नीति में परिवर्तन या संशोधन किया जा सकेगा ।

(ग) एस०ई०सी०एल० के अलावा अन्य खनिज परियोजनाओं में भी यदि [illegible] कम्पनी चाहे तो राज्य शासन की अनुमति से इस नीति को लागू किया जा सकेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार
(एस०एन०शर्मा)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग,

....4....

29

मध्यप्रदेश शासन
पुनर्वास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 5-8/90/28, भोपाल, दिनांक 21/12/95

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

म०प्र० खनिज परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु नीति वर्ष 1991 में संशोधन ।

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि खनिज परियोजना से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास सम्बन्धी मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 1-11-91 को अधिसूचित नीति बाबत इस विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5-8/90/28, दिनांक 25.9.1991 में, रोजगार सम्बन्धी बिन्दु क्रमांक - 3 उप बिन्दु (घ) के पश्चात निम्नानुसार परन्तुक जोड़ा जाय :-

" परन्तु, उपबिन्दुओं (क), (ख) (ग) एवं (घ) में उल्लेखित रोजगार सुविधा संबंधी लाभ केवल ऐसे व्यक्तियों को ही प्राप्त करने की पात्रता हो, जिनका जन्म स्थान उस क्षेत्र में हो एवं जिन्होने शिक्षा वहीं पर प्राप्त की हो एवं कम से कम 20 वर्ष लगातार भूमि के धारक (भूमि स्वामी) रहे हों । "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

(वाय०पी० द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग.

पृष्ठा०क्रं.एफ 5-8/90/28/ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष व प्रबंध निर्देशक, साउथ ईस्टर्न, कोल फील्डस लिमिटेड, सीपत रोड, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
2. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री भोपाल की ओर भेज कर अनुरोध है कि वह इसे आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

(वाय०पी० द्विवेदी)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग.